

17/12/20

वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट द्वारा अपील को म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील लगभग 40 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिंह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963-धारा 5- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - धारा 96 - विलम्ब का शमन - अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब - विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद - 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 - विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब - आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही- विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 - अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब - प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" हस्तगत प्रकरण अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध हाजा न्यायालय में प्रस्तुत अपील लगभग 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा उक्त विलम्ब के संबध मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया है। जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता

१७

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

26/20

सम्मान के लिये श्री. सु. ब. ब. पुरखाना संग्रह

है। अतः अपील अपीलांत म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राज. अपील प्राधिकारी
पाली